तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/5/22	वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली आज उठवाई गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य जमीनी राजीनामा से बंटवारा करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी की जगह राजस्व का मामला पेश कर दिया गया है उक्त बंटवारा प्रकरण की विवादित जमीन के संबंध में अब पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है जिससे उक्त बंटवारा प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते है अतः उक्त बंटवारा प्रकरण जरिये विड्राल खारिज फरमाया जावे।
	वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त बंटवारा प्रकरण जरिये राजीनामा विड्राल खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो।
	कलेक्टर, गुड़ामाला...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:21 IST
Reason: SelfAttested

सेवामे,

श्रीमान सहायक कलेक्टर कोर्ट (S.D.O.),
गुडामालानी।

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE Re.1

वादीगण :–

1. लालाराम पुत्र धुंखाराम उम्र 60 वर्ष
2. गोमाराम पुत्र धुंखाराम उम्र 58 वर्ष
3. वागाराम पुत्र धुंखाराम उम्र 55 वर्ष
4. गवरीदेवी बेवा धुंखाराम उम्र 85 वर्ष

सभी जातियान कलबी, निवासीयान उन्दरी, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण ::–

csc 1. केराराम पुत्र खेताराम जाति कलबी, निवासी उन्दरी, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर (राज.)

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादीगण का वाद पत्र निम्न है :–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती सह संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सरहद मौजा नई उन्दरी, पटवार क्षैत्र खुडाला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नगर, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर में खेत खसरा नंबर 145 रकबा 2 [illegible] कीन बेरा, खसरा नंबर 146 रकबा 9.08 बीघा [illegible] र 146/3 रकबा 2 विस्वा किस्म चा. चार, खसरा नं[illegible] 149 रकबा 13 विस्वा किस्म चा. चार कुल रकबा 10.05 बीघा स्थित है जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:21 IST
Reason: SelfAttested

गोमाराम